राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

पत्रांकः एफ.8( ) आ.प्र.एवं सहा/आप्र./2020/ 3968-72 जयपुर,दिनांक 28-3-2020

समस्त जिला कलक्टर्स,
राजस्थान।

विषय :– एन.डी.एम.ए. द्वारा जारी IRS Guideline के तहत आपदा की स्थिति से निपटने हेतु जिला मजिस्ट्रेट/रिस्पोन्सीबल ऑफिसर (आर.ओ.) द्वारा जिलों में Incident Commander नियुक्त किये जाने बाबत।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश कमांक 40–3/2020–डी दिनांक 24.03.2020 के अनुसार एन.डी.एम.ए. द्वारा जारी IRS Guideline के अनुसरण में Covid-19 की रोकथाम हेतु बिन्दु संख्या 14 के तहत आपदा की स्थिति से निपटने हेतु जिला मजिस्ट्रेट/रिस्पोन्सीबल ऑफिसर (आर. ओ.) द्वारा जिलों में Incident Commander नियुक्त किया जाना है। गाईड लाईन एवं वर्तमान में Covid-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर अधिनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट, विकास अधिकारी एवं किसी भी अन्य अधिकारी (जिसे भी कलक्टर उचित समझे) को Incident Commander नियुक्त कर सकते है। Incident Commander की जिम्मेदारियां निम्नानुसार रहेगी :–

(i) Incident Commander द्वारा त्वरित तौर पर :–
 (क) स्थिति का आंकलन जैसे लोगों की संख्या एवं प्रभावित क्षेत्र का विस्तार की जानकारी प्राप्त कर रोकथाम की कार्यवाही करना।
 (ख) संसाधनों यथा PPE Kit, N-95 Mask, VTM, Triple Layer Mask, Sanitizers, Ventilaters, ICU beds इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
 (ग) निरन्तर चेतावनी प्राप्त करना तथा निम्नतर स्तर तक प्रसारित करवाना।
 (घ) रसद सामग्री दुकानों के माध्यम से Social Distance की Marking करवाई जाकर आमजन हेतु उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
 (ड) राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार रसद सामग्री की दुकानों तक उपलब्धता एवं दुकानो से घरों तक पहुंचाये जाने हेतु तंत्र स्थापित करना।

(ii) क्वारेनटाईन सेन्टरों का अधिक से अधिक संख्या में चिन्हीकरण कर सुविधाओं से सुदृढ़ीकरण करना जैसे बिजली, पानी, गार्ड, पुलिस, खाना एवं 24 X 7 चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना।

(iii) आईसोलेशन सेन्टर हेतु प्रत्येक जिले में लक्षणों वाले संदिग्ध Covid-19 रोगियों की जांच, उपचार किये जाने हेतु अस्पताल (निजी अस्पताल सहित) बैड/आई.सी.यू. चिन्हित करना।

(iv) पॉजीटिव पाये जाने वाले रोगियों के सम्पर्क में आये व्यक्तियों के कान्टेक्ट ट्रेसिंग कर स्क्रीनिंग करवाया जाना सुनिश्चित करना।

(v) दी राजस्थान एपीडेमिक एक्ट 1957 के अन्तर्गत वर्तमान में Covid-19 को सम्मिलित किये जाने के मध्यनजर एक्ट की पालना सुनिश्चित करवाना।

25

Scanned with CamScanner

(vi)	आमजन को Social Distance एवं अन्य जागरूकताओं के संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों, एफएम रेडियो, वाट्सअप, ईमेल, बैनर, नगर निगम के हुपर व. अन्य माध्यमों का उपयोग करना सुनिश्चित करना।
(vii)	घटना की जानकारी प्राप्त कर उच्च अधिकारियों को स्थिति के बारे में अवगत कराना।
(xiii)	कार्यरत सभी विभागों व अन्य ऐजेन्सीज के मध्य समन्वय बनाए रखना तथा किसी भी प्रकार के संघर्ष का हल तत्काल करना।
(ix)	संसाधनों एवं उपकरणों का क्षेत्राधिकार में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योजना अनुभाग एवं प्रचालन अनुभागों से चर्चा कर उपलब्ध कराने हेतु जिला मजिस्ट्रेट/आर.ओ. को सूचित करना।
(x)	आवश्यकतानुसार विभिन्न अनुभागों एवं शाखाओं को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराते हुए उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना तथा कार्य समाप्ति पर वापस लौटाया जाकर अन्य स्थानों पर जहां आवश्यकता हो भिजवाने क व्यवस्था करना।
(xi)	यदि आवश्यक हो, तो PRIs, ULBs, CBOs, Red Cross, NGOs इत्यादि से बाहर से आये बचाव दलों हेतु स्थानीय मदद प्राप्त करने हेतु समन्वय स्थापित करना।
(xii)	स्वंयसेवकों एवं अन्य नियोजित व्यक्तियों की तैनाती एवं सही प्रणाली की पालना सुनिश्चित करवाना।
(xiii)	आमजन की समस्याओं की समीक्षा कर समाधान हेतु जिला मजिस्ट्रेट/आर.ओ. को अनुशंषा भिजवाना।
(xiv)	घटना के प्रबन्धन हेतु आवश्यकतानुसार अन्य सभी कार्य सुनिश्चित करना।
(xv)	जिला मजिस्ट्रेट/आर.ओ. द्वारा दिये गये अन्य निर्देशों का पालन करना।

विकास अधिकारी को Incident Commander नियुक्त करने की स्थिति में उनके द्वारा अपने विभागीय वाहन एवं विभागीय POL का उपयोग किया जायेगा। जिला कलक्टर्स अन्य सरकारी कार्यालय जो लोक डाउन से प्रभावित नहीं है, उनके वाहन भी अधिग्रहीत कर सकेगें। सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं होने एवं अधिक वाहनों की आवश्यकता की स्थिति में जिला कलक्टर्स वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर एक वाहन किराये पर ले सकते है। इसकी स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102001743 दिनांक 28.03.2020 द्वारा प्राप्त कर ली गई है। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

सिद्धार्थ 29/3/2020
(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2 ~~विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आ.प्र. सहायता एवं ना.सु. विभाग, राज0 जयपुर।~~
3 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4 समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।

संयुक्त शासन सचिव

(28)

Scanned with CamScanner